(प्रकरण संख्या - 2022/88)

अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियां प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां है जिसमें प्रार्थीया का 5/6 हिस्सा निहित है। विपक्षीगण जबरन ताकत के बल पर बिना विभाजन कराये ही भूमि पर कब्जा कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा होना दर्शाया गया है जिससे प्रार्थीया का हित प्रभावित होना बताया है इस प्रकार प्रार्थीया का प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रमाणित है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है, प्रार्थीया को उनके हिस्से की भूमि से अगर बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीया को अपुर्णीय क्षति होने की संभावना है ऐसी स्थिति में विपक्षीगण के जवाब तक बहक प्रार्थी विरूद्व विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. स्वीकार कर विपक्षीगण का जवाब प्रस्तुत होने तक बहक प्रार्थी विरूद्व विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम सिरोडी पटवार हल्का टूंगच तहसील रायपुर में राजस्व खाता संख्या 8 पर दर्ज आराजी संख्या 334 रकबा 0.08 है0, 335 रकबा 0.05 है0, 336 रकबा 0.22 है0, 337 रकबा 0.02 है0, 338 रकबा 0.01 है0, 339 रकबा 0.07 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.45 है0 भूमि को अन्य को बिना विभाजन कराये विक्रय नही करे, पत्थरों के कोट/दीवार को नही तोडे, प्रार्थीया का आधिपत्य नहीं हटावे, अजनबी व्यक्ति को प्रवेश नही करावे, ऐसा कोई कृत्य नही करे जिससे प्रार्थीया के हक प्रभावित हो, उक्त कृत्य न तो विपक्षीगण स्वयं करे न अन्य से करावे। रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 को नोटिस जारी होकर पत्रावली वास्ते जवाब विपक्षीगण दिनांक 07.04.2022 को पेश हों।

03.03.2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
रायपुर (भीलवाड़ा)

7/4/22 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते [illegible] हेतु 5/5/22 को पेश हो।

5/5/2022 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता [illegible] द्वारा प्रकरण के निस्तारण तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखी जाने में सहमति व्यक्त की गयी। अतः इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.03.2022 को दिये गये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को कन्फर्म किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि

[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:20:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या - (2022/88) / 36/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	मूलवाद के निस्तारण तक ग्राम सिरोडी की आ.न. 334 रकबा 0.08, आ.न 335 रकबा 0.05 है आ.न 336 रकबा 0.22 है. आ.न. 337 रकबा 0.02 है आ.न 338 रकबा 0.01 है आ.न 339 रकबा 0.07 है कुल कित 6 रकबा 0.45 है भूमि के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। कोई भी पक्ष एक दूसरे के कब्जे मे दखलंदाजी नहीं करे, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर मूलवाद के साथ संलग्न करें। [signature] 05/05/2022 सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कोटड़ी (भीलवाड़ा)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:20:13 IST
Reason: SelfAttested